

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 246]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 जून 2014—आषाढ़ 2, शक 1936

संसदीय कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जून 2014

क्र. 598-एफ(8)1-2004-एक-अड़तालीस.—मध्यप्रदेश अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, होशंगाबाद (मध्यप्रदेश) को मध्यप्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष के शासकीय निवास का अतिरिक्त स्थान घोषित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. सी. मोटवानी, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 जून 2014

क्र. 599-एफ(8)1-2004-एक-अड़तालीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 598-एफ(8)1-2004-एक-अड़तालीस, दिनांक 23 जून 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एल. सी. मोटवानी, अपर सचिव.

Bhopal, the 23rd June 2014

No. 598-F.(8)1-2004-I-XLVIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the Madhya Pradesh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta) Adhinyam, 1972 (No. 27 of 1972), the State Government, hereby declare Hoshangabad (Madhya Pradesh) to be an additional place of official residence of the Speaker of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
L. C. MOTWANI, Addl. Secy.